रजिस्ट्री सं० डी-221 REGISTERED No. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 13, 1973 (आश्विन 21, 1895)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 13, 1973 (ASVINA 21, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 4
PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं, जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

---

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय
गैर बैंकिंग कंपनी विभाग

कलकत्ता-1, दिनांक 30 अगस्त 1973

संदर्भ सं० डी०एन०बी०सी० 22/डी०जी० (एस०)-73—रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात से आश्वस्त होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित के लिए और ऋण प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने के लिए आवश्यक है, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45 ञ, 45ट और 45ठ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके ज़रिये यह निदेश देता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1961 में 1 सितम्बर 1973 से निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:—

1. अनुच्छेद 2 के उप अनुच्छेद (1) में —

1. खंड (ख) में "फ़िल्मों में दिखाई जाने वाली कोई भी सामग्री शामिल है" इन शब्दों के बाद आनेवाले शब्द "किन्तु रेडियो पर प्रसारित कोई आलेख शामिल नहीं है" हटाये जाएंगे;

2. खंड (घ) हटाया जाएगा ;

3. खंड (च) में —

(क) उप खंड (ii) हटाया जाएगा;

(ख) उप खंड (iii) में "रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ख ii) मे परिभाषित किसी सहकारी बैंक से" के बाद आनेवाले शब्द "या फिलहाल लागू उधार देने से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन रजिस्टर किए गए किसी व्यक्ति से प्राप्त कोई ऋण" हटाये जाएंगे;

(ग) उप खंड (vii) हटाया जाएगा;

(घ) उप खंड (ix) में "निजी कम्पनी अपने" शब्दों के बाद आनेवाले शब्द "सदस्यों" के स्थान पर "शेयरधारियों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) उप खंड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात "(xii) कोई रकम जो किन्हीं शेयरों या स्टाक या किन्हीं बांडों या डिबेंचरों (ऐसे बांड या डिबेंचर कम्पनी की आस्तियों पर प्रभार अथवा ग्रहणाधिकार द्वारा रक्षित रहते हैं) मे अभिदान के रूप में उक्त शेयरों, स्टाक, बांडों या डिबेंचरों का आबंटन होने तक प्राप्त की गयी है और कोई रकम जो कम्पनी के संस्थागत अन्तर्नियमों के अनुसार अग्रिम रूप में शेयरों की बुलायी गयी राशि के रूप में प्राप्त की गयी है, जब तक कि ऐसी रकम कम्पनी के संस्थागत अन्तर्नियमों के अधीन सदस्यों को वापस अदा करने योग्य नहीं है; और

4 खंड (ढ) में "वित्तीय कारोबार के वर्गों जैसे" इन शब्दों के बाद आनेवाले शब्द "अग्रणी या एजेंट की हैसियत से किसी लेन-देन की व्यवस्था, संचालन या पर्यवेक्षण या खंड (घ) में उल्लिखित व्यवस्था करती है, या" हटाये जाएंगे;

5. खंड (त) में "गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी से कोई" इन शब्दों के बाद आनेवाले शब्द "चिट फंड कम्पनी" हटाये जाएंगे।

II. अनुच्छेद 3 के उप अनुच्छेद (1) के खंड (घ) के उप खंड (ii) के बाद निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु खंड (ख) के उद्देश्य के लिए "जमाराशि" में कम्पनी की आस्तियों या उनके किसी अंश को बन्धक या गिरवी रखकर प्राप्त किया गया कोई ऋण शामिल नहीं होगा,—

(क) यदि ऋण के लिए जमानत के रूप में प्रभारित आस्तियों के बाजार मूल्य के कम से कम पच्चीस प्रतिशत का मार्जिन है, और

(ख) यदि बीस से अधिक व्यक्तियों को ऋण के लिए जमानत के रूप में वे ही आस्तियां दी जाती हैं, यथास्थिति, बन्धक या गिरवी किसी न्यासी के पक्ष में भी निर्मित की जाती है, जो या तो कोई अनुसूचित वाणिज्य बैंक या कोई ऐसी निष्पादक या न्यासी कम्पनी हो जो ऐसे अनुसूचित वाणिज्य बैंक की नियन्त्रित कम्पनी है और कम्पनी ने यथास्थिति ऐसे अनुसूचित वाणिज्य बैंक या उसकी नियन्त्रित कम्पनी के पक्ष में न्यास विलेख का निष्पादन किया है ;

परन्तु, यदि रिजर्व बैंक इस बात से आश्वस्त हो कि किसी कम्पनी द्वारा निर्मित बन्धक या गिरवी लोकहित में नहीं है या देश की ऋण प्रणाली के सही विनियमन के लिए सहायक नहीं है तो रिजर्व बैंक यह घोषणा कर सकता है कि ऐसे बन्धक या गिरवी द्वारा प्राप्त की जानेवाली जमाराशियां तब भी जमाराशियों के रूप में मानी जायेंगी, और पहले परन्तुक की सुविधा प्राप्त करने योग्य नहीं होंगी।"

सं० डी०एन०बी०सी० 23/डी०जी०(एस०)-73—रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया इस बात से आश्वस्त होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है, रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45ञ और 45ट के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके जरिये यह निदेश देता है कि गैर बैंकिंग वित्तेसर कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1961 में 1 सितम्बर, 1973 से निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाएगा, अर्थात् :—

I. अनुच्छेद 2 के उप अनुच्छेद (1) में —

1. खंड (ख) में "फ़िल्मों में दिखाई जानेवाली कोई भी सामग्री शामिल है" इन शब्दों के बाद आने वाले शब्द "किन्तु रेडियो पर प्रसारित कोई आलेख शामिल नहीं है" हटाये जाएंगे ;

2. खंड (घ) हटाया जाएगा;

3. खंड (च) में —

(क) उप खंड (ii) हटाया जाएगा;

(ख) उप खंड (iii) में "रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ख ii) में परिभाषित किसी सहकारी बैंक से" के बाद आनेवाले शब्द "या फिलहाल लागू उधार देने से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन रजिस्टर किए गए किसी व्यक्ति से प्राप्त कोई ऋण" हटाये जाएंगे;

(ग) उप खंड (vii) में "निजी कम्पनी अपने" शब्दों के बाद आनेवाले शब्द "सदस्यों" के स्थान पर "शेयर-धारियों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) उप खंड (x) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(x) कोई रकम जो किन्हीं शेयरों या स्टाक या किन्हीं बांडों या डिबेंचरों (ऐसे बांड या डिबेंचर कम्पनी की आस्तियों पर प्रभार अथवा ग्रहणाधिकार द्वारा रक्षित रहते हैं) में अभिदान के रूप में उक्त शेयरों, स्टाक, बांडो या डिबेंचरों का आबन्टन होने तक प्राप्त की गयी है और कोई रकम जो कम्पनी के संस्थागत अन्तर्नियमों के अनुसार अग्रिम रूप में शेयरों की बुलायी गयी राशि के रूप में प्राप्त की गयी है, जब तक कि ऐसी रकम कम्पनी के संस्थागत अन्तर्नियमों के अधीन सदस्यों को वापस अदा करने योग्य नहीं है; और

4. खंड (ढ) में "वित्तीय कारोबार के वर्गों जैसे" इन शब्दों के बाद आनेवाले शब्द "अग्रणी या एजेंट की हैसियत से किसी लेन-देन की व्यवस्था, संचालन या पर्यवेक्षण या खंड (घ) में उल्लिखित व्यवस्था करती है, या" हटाये जायेंगे;

5. खंड (त) में "कोई ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो चिट फंड .....नहीं है" इन शब्दों में से "चिट फंड" शब्द हटाये जाएंगे;

II. अनुच्छेद 3 के उप अनुच्छेद (2) के खंड (ii) के बाद निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा—

"परन्तु उप अनुछेद (2) के उद्देश्य के लिए 'जमाराशि' में कम्पनी की आस्तियों या उनके किसी अंश को बन्धक या गिरवी रखकर प्राप्त किया गया कोई ऋण शामिल नहीं होगा—

(क) यदि ऋण के लिए जमानत के रूप में प्रभारित आस्तियों के बाजार मूल्य के कम से कम पच्चीस प्रतिशत का मार्जिन है, और

(ख) यदि बीस से अधिक व्यक्तियों को ऋण के लिए जमानत के रूप में वे ही आस्तियां दी जाती है ।

यथास्थिति, बन्धक या गिरवी किसी न्यासी के पक्ष में भी निर्मित की जाती है, जो या तो कोई अनुसूचित वाणिज्य बैंक या कोई ऐसी निष्पादक या न्यासी कम्पनी हो जो ऐसे अनुसूचित वाणिज्य बैंक की नियन्त्रित कम्पनी है और कम्पनी ने यथास्थिति ऐसे अनुसूचित वाणिज्य बैंक या उसकी नियन्त्रित कम्पनी के पक्ष में न्यास विलेख का निष्पादन किया है।

परन्तु, यदि रिजर्व बैंक इस बात से आश्वस्त हो कि किसी कम्पनी द्वारा निर्मित बन्धक या गिरवी लोकहित में नहीं है ———————— तो

रिजर्व बैंक यह घोषणा कर सकता है कि ऐसे बन्धक या गिरवी द्वारा प्राप्त की जानेवाली जमाराशियां तब भी जमाराशियों के रूप में मानी जायेंगी और पहले परन्तुक की सुविधा प्राप्त करने योग्य नहीं होंगी।"

एस० एस० शिरालकर
उप गवर्नर

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-1, दिनांक 19 सितम्बर, 1973

सं० 5 सी० ए० (1)/14/73-74—इस संस्थान की अधिसूचना (1) 4-सी० (1)/23/72-73 दिनांक 2-2-1973 तथा (2) 4-सी० ए० (1)/19/71-72 दिनांक 3-1-72 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतत द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनःस्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	स०सं०	नाम एवं पता	तिथि
1	9620	श्री रवि धावन, ए०सी०ए०, 15/238, सिविल लाइन्स, कानपुर	7-8-73
2	9627	श्री कैडाथिल चंडी बाबू, ए० सी० ए०, कन्ट्रोलर आफ फाइनेन्स/चीफ एकाउन्टैन्ट, तनजानिया काटन अथारिटी दारेस्लाम (तनजानिया)।	7-9-73

सी० बालकृष्णनन्, सचिव

कलकत्ता, दिनांक 17 सितम्बर, 1973

कास्ट एक्काउन्टैन्टस

सं० 11 सी० डब्ल्यू० आर० (27)/73—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एक्काउन्टैन्टस रैग्युलेशन्स 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) का अनुसरण कर यह सूचित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार घोष, एम० ए०, बी० काम०, एफ० सी० ए०, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 23, बालीगंज टेररैस, कलकत्ता-19, (सदस्यता संख्या 229) के अभ्यास करने का प्रमाण पत्र 8 सितम्बर, 1973 से लेकर 30 जून, 1974 तक के लिए रद्द किया जाता है।

एस० एन० घोष, सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, दिनांक 25 सितम्बर 1973

आदेश

स० 7(28)/73/प्रशा० ii/458—जब कि श्री के० एस० रविन्द्रन, रिऐक्टर परिचालन प्रभाग में कारीगर—'बी' के रूप में काम करते हुए बिना अनुमति और सूचना के 10 नवम्बर, 1972 से ड्यूटी से अनुपस्थित रहे,

और जबकि अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप पर श्री रविन्द्रन नायर के विरुद्ध जांच का प्रस्ताव करते हुए हस्ताक्षरित ज्ञापन दिनांक 30 मई, 1973 की प्रतियां उक्त श्री रविन्द्रन नायर के अन्तिम ज्ञात दोनों पतों से रजिस्ट्री भेजी गई और प्रतियां दोनों स्थानों से अवतरित लौट आईं।

और जबकि अनधिकृत अनुपस्थिति 10 नवम्बर, 1972 से उक्त श्री रविन्द्रन नायर के बारे में कोई पत्रादि नहीं प्राप्त हुआ,

और जबकि उपरोक्त पैरा 2 और 3 में बयान किए हुए कारणों से अधोहस्ताक्षरी को समाधान है कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमावली, 1965 (सबसे उक्त नियमावली कही जायेगी) की व्यवस्थाओं के तरीके से जांच करना विवेकपूर्ण और व्यावहारिक नहीं है,

और अधोहस्ताक्षरी को समाधान है कि श्री रविन्द्रन नायर ने बिना अनुमति के लम्बे काल तक अनुपस्थित रहकर बड़ी बुरी हरकत की है और इसलिए सेवा से अलग कर दिया जाये,

अब, इसलिए, उक्त नियमावली के नियम 12 (2) (बी) और नियम 19 (11) के साथ परमाणु ऊर्जा विभाग आदेश सं० 22(1)/68/प्रशासन, दिनांक 3 दिसम्बर, 1970 के अन्तर्गत दिए हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा उक्त श्री रविन्द्रन नायर को तत्काल प्रभाव से सेवा से अलग करते हैं।

टी० वी० रंगराजन
प्रधान, कार्मिक प्रभाग

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1973

सं० 1(1)-1/72-स्थापना-1—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उपधारा (1) जो कि उपधारा (2) तथा (2क) के खण्ड (xxi) और धारा 17 की उपधारा (2) के साथ पठित है, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की अनुमति से कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क० रा० बी० नि० (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1959 में संशोधन करने के हेतु एतद्-द्वारा निम्न प्रकार से विनियम बनाती है :—

1. 1. ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) संशोधन विनियम, 1973 कहे जायेंगे।

2. वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम 1959 में विनियम 6 के उपविनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:—

"(3) एक अस्थायी कर्मचारी की सेवायें, बिना किसी कारण बताये किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसको एक महीने का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

बशर्ते कि किसी ऐसे कर्मचारी की सेवाएं तुरन्त समाप्त की जा सकती हैं तथा ऐसी समाप्ति पर, कर्मचारी अपने वेतन तथा भत्तों के बराबर राशि उस नोटिस की अवधि के लिए उन्हीं दरों पर पाने का हकदार होगा जोकि वह अपनी सेवा-अवधि की समाप्ति से तुरन्त पहले ले रहा था अथवा, जैसे भी हो, उस अवधि के लिए जिससे कि ऐसा नोटिस एक महीने से कम हो।

हस्ताक्षरित /-
महा निदेशक

टिप्पणी:—हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर अंग्रेजी में लिखित विवरण को ही शुद्ध माना जाए।

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

खान सुरक्षा महानिदेशालय।

धनबाद, दिनांक 9 अक्तूबर, 1972

सं० साधा०/19924 जी०—कोयला खान विनियम, 1957

के विनियम 154 के उपविनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर समय-समय पर जारी की गई सभी पूर्वतन: अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, मैं, मुख्य निरीक्षक, एतद्द्वारा अपेक्षा करता हूं कि कोयला खानों में भूमि के नीचे नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए क्रमश: अधिसूचना संख्यांक 3193 जी तारीख 25-1-62 और संख्यांक 17398 जी तारीख 7-4-1964 के अनुसार मेरे द्वारा उक्त विनियमों के विनियम 2 के उपविनियम (2) के अधीन अनुमोदित प्रकार के कार्यक्रम विद्युत लैम्पों को, इस अधिसूचना की तारीख से, व्यवस्था की जाए।

ह० अपठनीय

मुख्य निरीक्षक, खान सुरक्षा महानिदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF NON-BANKING COMPANIES

Calcutta-700001, the 30th August 1973

No. DNBC-22/DG(S)-73.—In exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary in the public interest and to regulate the credit system to the advantage of the country so to do, hereby directs that the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966, shall, with effect from the 1st September 1973, be amended in the following manner, namely :—

I. In sub-paragraph (1) of paragraph 2—

1. in clause (b), the words "but does not include any script broadcast on the radio" occurring after the words "exposed cinematograph films", shall be deleted;

2. clause (d) shall be deleted;

3. in clause (f)—

(a) sub-clause (ii) shall be deleted;

(b) in sub-clause (iii), the words "or any loan received from any person registered under any law relating to moneylending which is for the time being in force" occurring after the words "Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)", shall be deleted;

(c) sub-clause (vii) shall be deleted;

(d) in sub-clause (ix), for the word "members" occurring after the words "private company from its", the word "shareholders", shall be substituted;

(e) for sub-clause (xii), the following shall be substituted, namely :—

"(xii) any money received by way of subscription to any shares or stock or any bonds or debentures (such bonds or debentures being secured by a charge on or lien on the assets of the company) pending the allotment of the said shares, stock, bonds or debentures and any money received by way of calls in advance on shares in accordance with the company's articles of association so long as such money is not repayable to the members under the articles of association of the company; and";

4. in clause (n), the words "the management conduct or supervision as a foreman or agent of any transaction or arrangement which is referred to in clause (d), or" occurring after the words "classes of financial business such as" shall be deleted;

5. in clause (p), the words "chit fund", occurring after the words "means any", shall be deleted.

II. After sub-clause (ii) of clause (d) in sub-paragraph (1) of paragraph 3, the following proviso shall be inserted namely :—

"Provided that for the purpose of clause (d), 'deposit' shall not include any loan secured by the creation of a mortgage or pledge of the assets of the company or any part thereof,—

(a) if there is a margin of at least twenty-five per cent of the market value of the assets charged as security for the loan, and

(b) in case more than twenty persons are given the same assets as security for the loan, the mortgage or pledge, as the case may be, is also created in favour of a trustee, which should be either a scheduled commercial bank or an executor and trustee company which is a subsidiary of such scheduled commercial bank and the company has executed a trust deed in favour of such scheduled commercial bank or its subsidiary as the case may be.

Provided further, that if the Reserve Bank is satisfied, that a mortgage or a pledge created by a company is not in the public interest, or is not conducive to the proper regulation of the credit system of the country, it may declare that the deposits sought to be secured by such mortgage or pledge shall still be deemed to be deposits and shall not be entitled to the benefit of the first proviso."

No. DNBC-23/DG(S)-73.—In exercise of the powers conferred by sections 45J, and 45K of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India, being satisfied, that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966, shall, with effect from the 1st September 1973, be amended in the following manner namely :—

I. In sub-paragraph (1) of paragraph 2—

1. in clause (b), the words "but does not include any script broadcast on the radio" occurring after the words "exposed cinematograph films", shall be deleted;

2. clause (d) shall be deleted;

3. in clause (f)—

(a) sub-clause (ii) shall be deleted;

(b) in sub-clause (iii), the words "or any loan received from any person registered under any law relating to moneylending which is for the time being in force" occurring after the words "Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)", shall be deleted;

(c) in sub-clause (vii), for the word "members", occurring after the words "private company from its", the word "shareholders", shall be substituted;

(d) for sub-clause (x), the following shall be substituted, namely :—

"(x) any money received by way of subscription to any shares or stock or any bonds or debentures (such bonds or debentures being secured by a charge on or lien on the assets of the company) pending the allotment of the said shares, stock, bonds or debentures and any money received by way of calls in advance on shares in accordance with the company's articles of association so long as such money is not repayable to the members under the articles of association of the company; and"

4. in clause (n) the words "the management conduct or supervision as a foreman or agent of any transaction or arrangement which is referred to in clause (d), or" occurring after the words "classes of financial business such as", shall be deleted;

5. in clause (p), the words "chit fund", occurring after the words "means any company which is not a", shall be deleted.

II. After clause (ii) in sub-paragraph (2) of paragraph 3, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that for the purpose of sub-paragraph (2), 'deposit' shall not include any loan secured by the creation of a mortgage or pledge of the assets of the company or any part thereof,—

(a) if there is a margin of at least twenty-five per cent of the market value of the assets charged as security for the loan, and

(b) in case more than twenty persons are given the same assets as security for the loan, the mortgage or pledge, as the case may be, is also created in favour of a trustee, which should be either a scheduled commercial bank or an executor and trustee company which is a subsidiary of such scheduled commercial bank and the company has executed a trust deed in favour of such scheduled commercial bank or its subsidiary as the case may be.

Provided further, that if the Reserve Bank is satisfied that a mortgage or a pledge created by a company is not in the public interest, it may declare that the deposits sought to be secured by such mortgage or pledge shall still be deemed to be deposits and shall not be entitled to the benefit of the first proviso."

S. S. SHIRALKAR, Dy. Governor

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 19th September 1973

No. 5-CA(1)/14/1973-74—With reference to this Institute's Notifications (1)4-CA(1)/23/72-73 dated 2nd February, 1973 (2) 4-CA(1)/19/71-72 dated 3rd January 1972, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names the names of the following gentlemen:—

S. No.	Member ship No.	Name and Address	Date of Restoration
1.	9620	Shri Ravi Dhawan, A.C.A., 15/238, Civil Lines, Kanpur.	7-8-1973
2.	9627	Shri Kandathil Chandy Babu, A.C.A., Controller of Finance/ Chief Accountant, Tanzania Cotton Authority, P.O. Box No. 9161, Dar-es-Salaam Tanaznia.	7-9-1973

C. BALAKRISHNAN, Secy.

Calcutta, the 17th September 1973
COST ACCOUNTANTS

No. 11-*CWR*(27)/73.—In pursuance of sub-regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificate of Practice granted to Shri Sushil Kumar Ghosh, M.A., B. Com., F.C.A., F.I.C.W.A., 23, Ballygunge Terrace, Calcutta 19, (Membership No. 229), shall stand cancelled during the period from 8th September 1973 to 30th June 1974.

S. N. GHOSE, Secy.

BHABA ATOMIC RESEARCH CENTRE
(Personnel Division)

Bombay-400085, the 25th September 1973

No. 7(28)/73/Estt-XII/458.—WHEREAS, Shri K. S. Ravindran Nair while functioning as Tradesman 'B' in Reactor Operation Division, has been absenting from duty without permission or intimation with effect from November 10, 1972.

AND WHEREAS signed copies of memorandum dated May 30, 1973, proposing to hold an inquiry against the said Shri Ravindran Nair while functioning as Tradesman 'B' in Reactor seat by Registered Post to the last known two addresses to the said Shri Ravindran Nair, and the said copies have been returned undelivered from both the destinations,

AND WHEREAS no communication has been received as regards the whereabouts from the said Shri Ravindran Nair since the date of his unauthorised absence from November 10, 1972.

AND WHEREAS for the reasons stated in paragraphs 2 and 3 above, the undersigned is satisfied that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in the Central Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, (hereinafter called the said Rules),

AND WHEREAS the undersigned is satisfied that the said Shri Ravindran Nair has committed a grave misconduct by remaining absent for a prolonged period without permission and should therefore be removed from service.

NOW, THEREFORE, the undersigned in exercise of the powers conferred under Rule 12(2)(b) and Rule 19(ii) of the said Rules, read with the Department of Atomic Energy Order No. 22(1)/68/Adm. dated December 3, 1970, hereby removes the said Shri Ravindran Nair from services with immediate effect.

T. V. RANGARAJAN,
Head, Personnel Division

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

Tamil Nadu, the 19th September 1973

TNR/CO-3(26)/70.—It is hereby notified that the Local Committee for Vaniyambadi area reconstituted vide this office Notification of even No., dt. 5-3-1971 under Regulation 10 A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 has been re-constituted with the following members with effect from 19th September '1973.

Chairman

Under Regulation 10 *A*(1)(*a*)

1. The District Medical Officer, Vellore, *North Arcot District.*

Members

Under Regulation 10 *A*(1)(*b*)

2. The Labour Officer, Vellore.
North Arcot Dist.

Under Regulation 10 *A*(1)(*c*)

3. The Medical Officer-in-charge. E.S.I. Dispensary, Vaniyamabadi.

Under Regulation 10 *A*(1)(*d*) (*Employers' side*)

4. Thiru P. R. Sankarasubramanian, Works Manager (Incharge) TANSI Tannery, Vinnamangalam, Minnur P.O., *North Arcot District.*

5. Thiru A. Azeez Ahmed,
Joint Secretary,
Vaniyambadi Tanners Association,
Vaniyambadi.

Under Regulation 10 *A*(1)(*e*)(*Employees' side*)

6. Thiru B. Subramanian,
President, North Arcot District Tannery Workers Union, Vaniyambadi.

7. Thiru M. Pannerselvam M.L.A.,
President, Vinnamangalam Tanning and Finishing and Wool Processing Centre Workers Progressive Union, Minnur, *North Arcot District.*

Under Regulation 10 *A*(1)(*f*)

8. The Local Office Manager,
E.S.I. Corporation, Vellore. *Member Secretary*

By Order Regional Director and Ex-officio Member-Secretary Regional Board, E.S.I.C., Tamil Nadu.

M. A. K. TAYAB.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 22nd September 1973

No. 2(2)-1/67*Estt.III.*—In pursuance of Section 25 of the E.S.I. Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950, the Chairman, E.S.I. Corporation in consultation with the State Government of Haryana is pleased to nominate State Minister for Home and Health, Haryana, as Vice-Chairman of the Regional Board, Haryana.

Now, therefore, the following further amendment is hereby made in the Employees' State Insurance Corporation Notification No. 2(2)-1/67.Estt.III dated the 2nd March, 1970 pertaining to the constitution of the Regional Board for Haryana State, namely :—

In the said Notification, for the entry against Item No. 2 the following entry shall be substituted :—

"2. State Minister for Home and Health Haryana, Vice-Chairman, nominated by the Chairman, E.S.I. Corporation."

T. N. LAKSHMINARAYANAN, Director General

The 24th September 1973

No. 1(1)-1/72-*Estt.I.*—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2-A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations further to amend the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959, namely :—

(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959, for sub-regulation (3) of regulation 6 the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(3) the services of a temporary employee may be terminated without assigning any reason therefor at any time, after giving him one month's notice by the appointing authority.

Provided that the services of any such employee may be terminated forthwith and on such termination, the employee shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay and allowances for the period of notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service, or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month".

T. N. LAKSHMINARAYANAN, Dy. General

Jaipur, the 25th September 1973

No. R/18-7/73-*Estt.*—It is hereby notified that the Local Committee consisting of the following members has been reconstituted for Kishangarh area under Regulation 10A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 with effect from the date of notification.

Chairman

Under Regulation 10-*A*(1)(*a*)

Regional Asstt. Labour Commissioner, Ajmer

Members

Under Regulation 10-*A*(1)(*b*)

Medical Officer Incharge,
Government Hospital,
Kishangarh.

Under Regulation 10-*A*(1)(*c*)

Insurance Medical Officer I/C. E.S.I. Dispensary, Kishangarh.

Under Regulation 10-*A*(1)(*d*)

1. Sh. S. S. Narang, Executive Vice-President (Tech.) M/s. Aditya Mills Ltd. Kishangarh.

2. Sh. Hari Dutt Bhargava, Commercial Director, M/s Mahesh Metal Works, Kishangarh.

3. Sh. Iftekhar Ahmed, Asstt. Engineer, R.S.E.B. Kishangarh.

Under Regulation 10-*A*(1)(*e*)

1. Sh. Take Chand, General Secretary,
Metal Works Karamchari Union, Kishangarh.

2. Sh. Girdhar Das Purohit, General Secretary, Kishangarh Mill Rashtriya Mazdoor Congress, Kishangarh.

3. Sh. Narendra Kumar Gupta, Mahamantri,
Rashtriya Mill Sharmik Sangh,
Kishangarh.

Under Regulation 10-*A*(1)(*f*)

The Manager, Local Office,
E.S.I. Corporation,
Kishangarh (Member Secretary)

U. P. SAXENA, Regional Director

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION
Department of Labour and Employment

Dhanbad, the 9th October 1972

No. Genl/19924G.—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (2) of regulation 154 of the Coal Mines Regulations, 1957, and in supersession of all the previous notifications issued on the subject from time to time, I, the Chief Inspector, hereby require that all persons employed below-ground in Coal Mines shall be provided with efficient electric lamps of a type approved by me under sub-regulation (2) of regulation 2 of the said regulations, vide Notifications numbers 3193G and 17398G dated 25-1-62 and 7-4-1964, respectively with effect from the date of this notification.

Sd. ILLEGIBLE
Chief Inspector
Director-General of Mines Safety